

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➤ बारां में सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद एवं उसके दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 12,000/— रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर दिनांक 16 सितम्बर, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बारां द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद एवं उसके दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) रामकल्याण मेघवाल को परिवादी से उसके भतीजो का नाम राशन कार्ड में सही करवाने एवं स्वयं के नाम स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त (रुपये 60000) परिवादी के खाते में जमा करवाने की एवज में 12,000/— रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बारां को दिनांक 14-09-2025 को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसके भतीजो का नाम राशन कार्ड में सही करवाने एवं स्वयं के नाम स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त (रुपये 60000) परिवादी के खाते में जमा करवाने की एवज में आरोपी सुरजमल मालव सरपंच (प्रशासक) ग्राम पंचायत खेडला जागीर तहसील छीपाबडौद द्वारा 12,000/— रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। जिस पर दिनांक 15-09-2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। जिसमें आरोपी सरपंच द्वारा 12,000/—रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया।

जिस पर एसीबी कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द शर्मा के सुपरवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कालू राम वर्मा के नेतृत्व में उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रेमचन्द द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी सुरजमल मालव सरपंच एवं उसके दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) रामकल्याण मेघवाल को रिश्वत राशि 12,000/—रुपये लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो कोटा रेंज कोटा श्री आनन्द शर्मा के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।